नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर–06, नौएडा

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नौएडा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व आवंटित औद्योगिक भूखण्डों पर डाटा सैन्टर स्थापित किये जाने के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड की 205वीं बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। संचालक मण्डल द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने एवं प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पूर्व आवंटित औद्योगिक भूखण्डों पर अनुमोदित प्राविधानों के अंतर्गत डाटा सैन्टर स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जायेगा।

अतः उक्त के संबंध में जनसामान्य/हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते है। यदि किसी जनसामान्य/हितबद्ध व्यक्तियों को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर लिखित रूप में नियोजन विभाग में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नही किया जायेगा।

महाप्रबन्धक (नियोजन)
नौएडा